बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस.बी–2, पाटलीपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा, पटना–800 010

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः 23 पटना, दिनांकः 31-08-23

दिनांकः 22.02.2022 से पूर्व राज्य की परिसीमा में स्थापित ईंट भट्ठा के स्थापनार्थ सहमति हेतु पर्षद् की निर्गत अधिसूचना संख्याः 23, दिनांकः 30.08.2023 को एतद् द्वारा अवक्रमित करते हुए संशोधित दिशा–निदेश निम्न प्रकार निर्गत किया जाता है।

दिनांक 16.08.2023 को ईंट निर्माताओं के साथ सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय तथा पर्यावरणीय प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन हेतु भारत का राजपत्र संख्या G.S.R. 143(E), दिनांक 22.02.2022 के प्रकाशन से पूर्व बिहार राज्य की परिसीमा में स्थापित ईंट भट्ठा इकाईयों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति से संबंधित दिशा–निदेश निम्नवत होगा। यह दिशा–निदेश केवल वैसे ईंट भट्ठों के लिए लागू होंगे, जो दिनांक 22.02.2022 से पूर्व स्थापित हैंः–

1. वैसे ईंट भट्ठे, जो भारत सरकार की अधिसूचना संख्या G.S.R. 143(E), दिनांक 22.02.2022 के प्रकाशन के पूर्व से बिहार राज्य की परिसीमा में स्थापित हैं एवं स्वच्छतर तकनीक (यथाः जिग–जैग तकनीक अथवा वर्टिकल सॉफ्ट तकनीक) में परिवर्तित हैं, परन्तु उनके पास राज्य पर्षद् की वैध सहमति नहीं है, उन्हें दिनांक 31.12.2023 तक पर्यावरणीय क्षति–पूर्ति राशि की दोगुनी राशि यथा रू0 3,00,000/– (तीन लाख रूपये) मात्र के साथ OCMMS के माध्यम से स्थापनार्थ सहमति हेतु सशुल्क आवेदन राज्य पर्षद् को समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है;
2. ईंट भट्ठा के वर्तमान स्थल को पर्षद् की अधिसूचना संख्याः 16, दिनांकः 14.06.2021 द्वारा निर्गत दूरी संबधित माप–दण्ड को पूरा करना अनिवार्य होगा;
3. निम्नांकित मे से कोई अभिलेख को साक्ष्य के रूप में आवेदन के साथ समर्पित करना होगा, जो प्रमाणित करता हो कि ईंट भट्ठा दिनांक 22.02.2022 के पूर्व स्थापित हो चुका है। ये अभिलेख निम्नलिखित हैंः–
   (क) खनन रॉयल्टी रसीद, (ख) पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति,
   (ग) ईंट भट्ठे के नाम बिजली–विपत्र (घ) जी.एस.टी. की प्रति;
4. उपर वर्णित चार अभिलेखों के अतिरिक्त सरकार अथवा किसी अन्य वैध सरकारी प्राधिकार द्वारा निर्गत कोई दस्तावेज अथवा पत्र आवेदक द्वारा साक्ष्य के रूप में समर्पित किया जा सकता है, जो ईंट भट्ठे की स्थापना को दिनांक 22.02.2022 से पूर्व होने को सत्यापित करता है। परन्तु ऐसे मामलों में अभिलेख की योग्यता के आधार पर जाँचोपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात राज्य पर्षद् द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा;
5. ऐसे ईंट भट्ठा के स्वामी जिन्होंने पर्षद् की अधिसूचना संख्याः 25, दिनांकः 20.10.2022 के तहत् दिनांक 31.01.2023 अथवा इससे पूर्व उपर वर्णित दिशा–निदेशों का अनुपालन करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि (यथा–रूपये तीन लाख) मात्र के साथ स्थापनार्थ सहमति हेतु आवेदन राज्य पर्षद् को समर्पित किया था। परन्तु किन्हीं कारणों से उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा लिखित आवेदन राज्य पर्षद् में समर्पित कर प्रासंगिक आवेदन पर पुनर्विचार हेतु अनुरोध कर सकते हैं। उक्त स्थिति में उनके द्वारा समर्पित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि को मान्य समझा जायेगा। परन्तु आवेदक को लिखित आवेदन की पावती के साथ स्थापनार्थ सहमति हेतु पुनः सशुल्क आवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा;
6. यह दिशा–निदेश अन्तिम रूप से दिनांक 31.12.2023 तक मान्य है। ऐसे ईंट भट्ठे जो 31.12.2023 तक स्वच्छतर तकनीक में परिवर्तित नहीं होंगे एवं जिन्हें बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के तहत् वैध सहमति प्राप्त नहीं होगा, वैसे ईंट भट्ठे को उक्त तिथि के पश्चात स्वतः अवैध माना जायेगा तथा उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई आरम्भ की जायेगी;

(पृष्ठ 2 का 1)

7. सर्दियों के मौसम में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में ह्रास की स्थिति को देखते हुए संबंधित शहर के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थापित एवं संचालित ईंट भट्ठे को परिस्थिति के अनुरूप तत्काल प्रभाव से बंद करने का वैधानिक निदेश राज्य पर्षद् द्वारा जारी किया जायेगा। उक्त निदेश का परिवेशीय वायु की गुणवत्ता के निवारण एवं नियंत्रण तथा जनहित में संबंधित क्षेत्र के ईंट भट्ठे के स्वामी को अनुपालन सुनिश्चित करना होगा;
8. बिहार राज्य ईंट निर्माता संघ का सहयोग लेते हुए उनके द्वारा नामित पदाधिकारियों को यू.एन.डी.पी. द्वारा विकसित ऐप–GeoAI Platform उपलब्ध कराया जायेगा ताकि ईंट भट्ठा के स्थल से जिलावार आंकड़ों का संकलन ऐप पर उपलब्ध हो सके। इस हेतु नामित पदाधिकारियों को प्रशिक्षित कराने हेतु प्रशिक्षण–कार्यक्रम का आयोजन कराया जायेगा।

ह0/–
(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य सचिव

ज्ञापांकः पटना, दिनांकः
प्रतिलिपिः सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को अपने स्तर से इस संबंध में आवश्यक निदेश देने का कष्ट करना चाहेंगी।

ह0/–
(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य सचिव

ज्ञापांकः पटना, दिनांकः
प्रतिलिपिः अध्यक्ष, बिहार ईंट निर्माता संघ, आनन्द बिहार कॉलोनी, सरयुग टावर के निकट, भूतनाथ रोड, कंकड़बाग, पटना– 800026 (ई–मेलःbihar.ensangh@gmail.com) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य सचिव

ज्ञापांकः 2136 पटना, दिनांकः 31-08-23
प्रतिलिपिः पर्षद् विश्लेषक/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/सभी पर्यावरण अभियन्ता/सभी सहायक पर्यावरण अभियन्ता/सभी वैज्ञानिक/मिडिया कन्सल्टेन्ट/रंजू कुमारी, सदस्य सचिव कोषांग/श्री नीरज कुमार सिन्हा, सहायक प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

श्री नीरज कुमार सिन्हा, सहायक प्रोग्रामर, आई.टी. कोषांग को निदेश दिया जाता है कि प्रासंगिक अधिसूचना को राज्य पर्षद् के वेबसाइट पर जनसामान्य के अवलोकनार्थ अपलोड करें।

श्री वीरेन्द्र कुमार, मिडिया कन्सल्टेन्ट को निदेश दिया जाता है कि प्रासंगिक अधिसूचना को निदेशानुसार दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करावें।

31/8/23
(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य सचिव